संख्या–927/V-2/2017–60 (आ०)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 16 अगस्त, 2017

विषय–वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आकस्मिकता निधि से उत्तराखण्ड मैट्रो रेल शहरी अवस्थापना एंव भवन विकास निगम लि0 के कामिकों के वेतन व अन्य देयकों के भुगतान हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थपना एवं भवन निर्माण लि0, देहरादून के पत्र संख्या 22/उ0मे0–03/2017 दिनांक 03 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मैट्रो रेल शहरी अवस्थापना एंव भवन विकास निगम लि0 के कामिकों के वेतन व अन्य देयकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रश्नगत मदों में बजट उपलब्ध न होने के कारण संलग्न S.ID S17089 ... के अनुसार रू0 5.00 करोड की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के आहरित करने एवं व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैनुअल उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में करा दी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी।

(4) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय तथा व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

(5) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों एवं तद्‌विषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि को पूर्ण उपयोग दिनांक 31–03–2018 तक कर लिया जाय, यदि कोई धनराशि उक्त तिथि तक अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जाय।

(7) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, उसके व्यय उपभोग की सूचना बी0एम0–8 प्रपत्र पर मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

कमशः 2 ....

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, देहरादून के हस्ताक्षर से सम्बन्धित आहरण बिल पर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास, प्राधिकरण, देहरादून के प्रति हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः 8000 राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि के विनियमन तथा अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800 –अन्य व्यय–15–मैट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान /राज सहायता"** के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग के अशासकीय संख्या–304/XXVII(2)/2017 दिनांक 04 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

रा0आ0 निधि संख्या– 927(1) /XXXII(I)/2017–18 दिनांक 03.08.17

प्रतिलिपि –प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरूदन को 01 अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबु अद्दांकी)
अपर सचिव (वित्त)

संख्या– 927(2) /V-2/2017–60(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– प्रबन्ध निदेशक,उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थपना एवं भवन निर्माण लि0, देहरादूनं
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(सोम पाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Housing (S021)

आवंटन पत्र संख्या - 927/V-2/2017-60(Housing)/2017 | अलोटमेंट आई डी - S1708990020

अनुदान संख्या - PAC | आवंटन पत्र दिनांक - 16-Aug-2017

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

HOD Name - Secretary, Housing (HOD) (2881)

लेखा शीर्षक 2217 - शहरी विकास | 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

जिसमे 800 - अन्य व्यय

समायोजन होना 15 -

है - 00 -

(अनुदान संख्या - 013)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	50000000	50000000
	0	**50000000**	**50000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 50000000

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव
आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Housing (HOD) (2881)

आवंटन पत्र संख्या - 927/v-2/2017-60(HOUSING)/2017 — अलोटमेंट आई डी - F1708990004

अनुदान संख्या - PAC — आवंटन पत्र दिनांक - 23-Aug-2017

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक 2217 - शहरी विकास — 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

जिसमे 800 - अन्य व्यय — 15 -

समायोजन होना है - 00 -

(अनुदान संख्या - 013)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	50000000	50000000
	0	**50000000**	**50000000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 50000000